## <u>प्रेस नोट दिनांक 14.06.2021</u>

# इटावा पुलिस द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मात्र 24 घण्टों में गिरफ्तार किया गया।

जनपद में महिला/बालिका संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिहं के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी चकरनगर के नेतृत्व में थाना सहसों पुलिस द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मात्र 24 घण्टों में गिरफ्तार किया गया।

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 13.06.2021 को थाना सहसों पर दुष्कर्म पीडिता के पित द्वारा दिनांक 12.06.2021 की रात्रि को अपनी पत्नी के साथ पडोस के युवक सोनू यादव उर्फ अवनीश पुत्र राजवीर सिहं निवासी ग्राम सहसों थाना सहसों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की तहरीर दी गयी। उक्त सूचना व तहरीर के आधार पर थाना सहसों पुलिस द्वारा मु030स0 71/21 धारा 376 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा प्रकरण के संबंध में संज्ञान लेते अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी चकरनगर के नेतृत्व में थाना सहसों से पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दिबशें दी जा रही थी।

आज दिनांक 14.06.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर दुष्कर्मी अभियुक्त सोनू यादव को हनुमंतपुरा चौराहा से मात्र 24 घण्टों में गिरफ्तार किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सोनू यादव उर्फ अवनीश पुत्र राजवीर सिहं निवासी ग्राम सहसों थाना सहसों।

# पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 71/21 धारा 376 भादवि थाना सहसों

पुलिस टीम- उ०नि० श्री गंगादास गौतम थानाध्यक्ष सहसों इटावा ,उ०नि श्री रामबली सिहं यादव, का० गजेन्द्र सिंह,का०शहजाद खान,का० कौशलेन्द्र

> सोशल मीडिया सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा